न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 58/2024 **दर्ज दिनांक** 05.06.2024

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/151

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
2. चुन्नी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. डालु पुत्र किशना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाथी पुत्री छोगा पत्नि लेहरू कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा हाल निवास मण्डोल रोड़, आदर्श स्कुल के पास, रायपुर तहसील रायपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

उपस्थित

1. हरिशचन्द्र टेलर – अधिवक्ता वादीगण
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
3. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांकः– 28/4/2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 10.11.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया गया एवं आदेश दिया जिसकी पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7, 13 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिसको न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। न्यायालय द्वारा संशोधन आदेश दिनांक 23.03.2026 को जारी किया कि राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के वैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात का विवरण निम्नानुसार है –

क.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	थला	234	328	0.51
2			337	0.46
	कुल किता, कुल रकबा		2	0.97

सहायक कलक्टर, (एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का तहसीलदार रायपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.02.2026 में अंकन अनुसार रखते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का वाई मीट्स एण्ड वाउण्डस् के आधार पर विभाजन हेतु संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/409 दिनांक 15.04.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

4. अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. चुन्नी पुत्री धन्ना हि0 1/2 कुमावत सा.पाटियाखेड़ा 2. पारसी पुत्री धन्ना हि01/2 कुमावत सा.पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	337/2	0.3125
		योग	1	**0.3125**
2	नाथी पुत्री छोगा कुमावत सा. पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/3 337/1	0.1650 0.1475
		योग	2	**0.3125**
3	डालु पिता किशना कुमावत सा. पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/2	0.3125
		योग	1	**0.3125**
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/1	0.0325
		योग	1	**0.0325**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि में नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 28/4/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 58/2024 **दर्ज दिनांक 05.06.2024**

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2024/151

अन्तर्गत धारा :– 53, 188 आर.टी.एक्ट

उनवान

1. कंकु पत्नि धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलिट**
2. चुन्नी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पारसी पुत्री धन्ना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. डालु पुत्र किशना कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नाथी पुत्री छोगा पत्नि लेहरू कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा हाल निवास मण्डोल रोड़, आदर्श स्कुल के पास, रायपुर तहसील रायपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

निर्णय दिनांक : 28/4/2026

डिक्री दिनांक : 28/4/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री हरिशचन्द्र टेलर, श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53, 188** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

क्र. सं.	**खातेदार का नाम**	**ग्राम**	**आराजी नम्बर**	**रकबा (है0)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	1. चुन्नी पुत्री धन्ना हि0 1/2 कुमावत सा.पाटियाखेड़ा 2. पारसी पुत्री धन्ना हि01/2 कुमावत सा.पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	337/2	0.3125
		योग	1	**0.3125**
2	नाथी पुत्री छोगा कुमावत सा. पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/3 337/1	0.1650 0.1475
		योग	2	**0.3125**
3	डालु पिता किशना कुमावत सा. पाटियाखेड़ा	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/2	0.3125
		योग	1	**0.3125**
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम थला (खाता संख्या 234)	328/1	0.0325
		योग	1	**0.0325**

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। साथ ही वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा वादीगण के हक हिस्से की भूमि में नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

नीज ....Nil.................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/5/2026 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)
(एस.डी.ओ.) रायपुर